"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11267/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 27 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5 में,-

(एक) खण्ड (क) में, अल्प विराम चिन्ह "," के पश्चात्, शब्द "तथा" का लोप किया जाये.

(दो) खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, अल्प विराम चिन्ह एवं शब्द ", तथा" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(ग) राज्य में परिवहन संरचना (नेटवर्क) का विकास करने हेतु."

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में,-

(एक) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चच) शासन के वित्त विभाग का पदेन सदस्य;" भारसाधक सचिव

(दो) खण्ड (झ) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति की किसी बैठक में विशेष आमंत्रिती (स्पेशल इनवाईटी) के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में खनिज विकास निधि के सृजन हेतु विशेष उपबंध करने तथा इसका उपयोग राज्य में खनिज की खोज तथा खनन संक्रियाओं के विकास के लिये छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्र. 22 सन् 2003) में अधिनियमित किया गया था;

और यत:, खनिज विकास को सुगम बनाने के लिये, राज्य में परिवहन संरचना (नेटवर्क) का विकास किया जाना समीचीन है और साथ ही सलाहकार समिति में सचिव, वित्त विभाग को शामिल किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 7 दिसम्बर, 2015

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) की सुसंगत धाराओं का उद्धरण

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

5. (क) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के कार्यों एवं क्रियाकलापों के सम्पादन हेतु विशेषकर राज्य में खनिज मण्डार के अन्वेषण तथा खोज करने हेतु, तथा.

(ख) निगम के क्रियाकलापों के सम्पादन में विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु, जैसे खनिजों का उत्खनन, संयुक्त प्रक्षेत्रों में भागीदारी, खदानों में अधोसंरचना उपलब्ध कराने तथा राज्य खनिज नीति के अनुसार राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु खनन क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजन.

---

6. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निधि के समुचित उपयोग तथा आवंटन हेतु दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से तथा धारा 5 के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए निधि से आवंटन हेतु एक सलाहकार समिति गठित करेगी. सलाहकार समिति ऐसे अन्य कार्यों का भी सम्पादन करेगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए.

(2) इस निधि का संचालन तथा प्रशासन विभाग द्वारा होगा एवं इसका उपयोग सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किया जा सकेगा.

परन्तु यह कि, इस निधि का उपयोग उन कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है.

(3) सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे-

(क)	मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	खनिज साधन मंत्री	पदेन सदस्य;
(ग)	वित्त मंत्री	पदेन सदस्य;
(घ)	खनिज साधन राज्य मंत्री	पदेन सदस्य;
(ङ)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य;
(च)	शासन के प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग	पदेन सदस्य;
(छ)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि	पदेन सदस्य;
(ज)	शासन द्वारा नियुक्त दो खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ	सदस्य;
(झ)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.